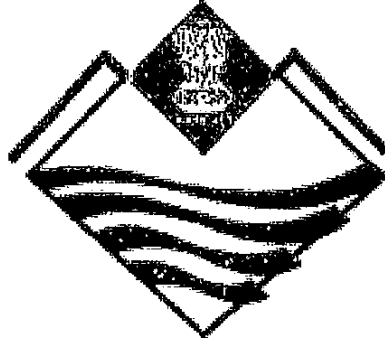




सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल- 12

(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून ।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
बेसिक शिक्षा अनुभाग-2,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक : अशा० बे०/06 (01)/ 15663 /मा०मु०घो०-289/2024-2025/दिनांक 10 जनवरी, 2025
विषय :- मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-289/2024 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-392/XXIV-A-2/24-09/2024 दिनांक 22 अगस्त, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अवगत कराते हुए कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2024 को जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में की गई घोषणा संख्या-289/2024 (मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विलासपुर काडली स्थित 11 जी०आर०आर०सी० जूनियर हाईस्कूल में विद्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा) के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं।

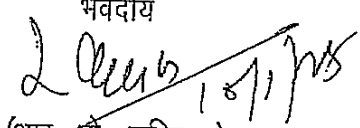
2- तदक्रम में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक जूनियर हाईस्कूलों के भवन निर्माण/खेल मैदान/चाहर दीवारी/शौचालय निर्माण इत्यादि के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्राविधानित नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा मात्र वेतन अनुदान प्रदान किया जाता है।

3- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या-नियोजन-04(बे०)/7735/मा०मु०घो०-226/289/2024-25 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा 11 जी०आर०आर०सी० जूनियर हाईस्कूल विलासपुर काडली का आंगणन रु० 54.68 लाख निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा 11 जी०आर०आर०सी० जूनियर हाईस्कूल विलासपुर काडली का आंगणन रु० 54.68 लाख मूलरूप में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त घोषणा का अनुदान संख्या-03 मा० मुख्यमंत्री घोषणा से पूर्ति की जा सकती है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

0/4

भवदीय

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

RURAL WORKS DEPARTMENT

DEHRADUN



उत्तरांचल शासन

Name of work	:-	Reconstruction of 11 G.R.R.C Junior High School Bilaspur Kandli
Scheme	:-	Chief Minister Announcement No 289/2024
Block	:-	Sahaspur
District	:-	Dehradun
Estimated Cost	:-	54.68
Year	:-	2024-2025

कार्यालय :- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

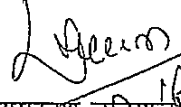
आदेश संख्या/अशा० बे०/०६ (०१)/ ६५७ /अति०से०ला०/२०२४-२०२५ दिनांक १६ दिसम्बर, २०२४

अतिरिक्त सेवा लाभ

महानिदेशालय के पत्र संख्या-सेवा-२/प्रा०शि०/४६४४-५१/अति०से०ला०/२०२४-२५ दिनांक ०७ दिसम्बर, २०२४ द्वारा शासनादेश संख्या-८८५/XXIV-२/२००५ दिनांक २९ अगस्त, २००५ एवं शासनादेश संख्या-३२०/XXIV-२/२००८ दिनांक २२ अगस्त, २००७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डॉ० देवेन्द्र प्रसाद हर्बोला, प्र०अ०, श्री पं० देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ रामनगर नैनीताल को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त होने के फलस्वरूप अधिवर्षता आयु दिनांक ३१-१२-२०२४ को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि, दो वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

अतः तदनुसार डॉ० देवेन्द्र प्रसाद हर्बोला, प्र०अ०, श्री पं० देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ रामनगर नैनीताल को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त होने के फलस्वरूप अधिवर्षता आयु दिनांक ३१-१२-२०२४ को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि, दो वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।


(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक

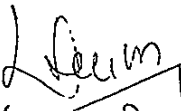
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/अशा० बे०/०६ (०१)/ १४७१२-९९/अति०से०ला०/२०२४-२०२५ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- २- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की महानिदेशालय (पत्र की छायाप्रति) द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- ५- सम्बन्धित, कोषाधिकारी, जनपद नैनीताल।
- ६- सम्बन्धित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, जनपद नैनीताल।
- ७- प्रधानाध्यापक, श्री पं० देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ रामनगर नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की महानिदेशालय (पत्र की छायाप्रति) द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- ८- डॉ० देवेन्द्र प्रसाद हर्बोला, प्र०अ०, श्री पं० देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ रामनगर नैनीताल को सूचनार्थ।

७/८


(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।